10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES 10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल कंम्प भोपाल म0प्र0

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/3345 रिविजन प्रकरण कमांक

जगदीश प्रसाद मीणा
आत्मज बाबूलाल मीणा
आयु लगभग 50 वर्ष निवासी
ग्राम इजगिरी तहसील
बैरसिया जिला भोपाल ------- रिवीजनकर्ता

विरूध

नारायण सिंह आत्मज बाबूलाल
निवासी ग्राम इजगिरी तहसील
बैरसिया जिला भोपाल ------ रेस्पाण्डेंट

रिवीजन अंतर्गत धारा– 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

रिवीजनकर्ता माननीय तहसीलदार महोदय तहसील बैरसिया जिला भोपाल के द्वारा प्रकरण कमांक 25/ए–6/16–17(नारायण सिंह विरूध सर्व साधारण) मे पारित आदेश दिनांक 23–06–2017 से क्षुब्द एवं दुखित होकर निम्न तथ्यो एवं आधारो पर यह रिवीजन प्रस्तुत करता है।

(129)

अभिभावक श्री ...... द्वारा आज दिनांक 21/08/17 को पेश।

प्रकरण के तथ्य

1– यह कि विवादित भूमि जो खसरा कमांक 88/2/4 रकबा 0.238 हेक्टयर व खसरा 88/4/1 रकबा 0.583 हेक्टयर ,खसरा कमांक 1.598 हेक्टयर स्थित ग्राम इजगिरी तहसील बैरसिया जिला भोपाल मे है तथा उपरोक्त भूमि उमराव सिंह जी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा उमरावसिंह जी की दो संतानें एक बापूलाल तथा दूसरी हरीसिंह थी और उमरावसिंह जी ने अपने दोनों पुत्रों के नाम उपरोक्त भूमियों का बटवारा बराबर बराबर भाग में कर दिया था तथा बापूलाल के चार पुत्र अवधनारायण, नारायणसिंह, जगदीश प्रसाद, रमेशप्रसाद हैं और हरिसिंह की कोई संतान नहीं थी ।

2– यह कि बापूलाल ने आज से लगभग 20–22 वर्ष पूर्व अपने चारों पुत्रों को अपने हिस्से की भूमि का बराबर बराबर हिस्सों में बटवारा कराया था और हरीसिंह जो कि निःसंतान थे के हिस्से की भूमि पर से भी बापूलाल के चारों पुत्र संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते रहे हैं और हरीसिंह को भी अपने पिता तुल्य मानते थे और उनकी देखरेख करते थे तथा हरीसिंह ने भी अपने हिस्से की भूमि का बटवारा बापूलाल के पुत्रों को बराबर बराबर रूप में समाज के लोगों और रिश्तेदारों की उपस्थित में कर दिया था ।

3– यह कि नारायण सिंह ने एक नामान्तरण आवेदन इस आशय का माननीय अधिनस्थ तहसीलदार महोदय तहसील बैरसिया जिला–भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया कि हरिसिंह उसके चाचा है और हरिसिंह ने एक ...

(169)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग/भोपाल/भूरा/2017/3344 [जगदीश/नारायणसिंह]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री नागेश्वर राव तथा अनावेदक अधिवक्ता श्री आर0एस0मीना उपस्थित । अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 23-6-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जबकि तहसीलदार के द्वारा दिनांक 16-8-2017 को प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है । इस संबंध में अनावेदक के द्वारा प्रमाण प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील भी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में अब यह निगरानी अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से निरर्थक हो गई है। अत: निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	